न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/43/2023 रजू दिनांकः 17.02.2023 रजि0 न0 2023/260

अपीलार्थीः–

श्री संदीप कुमार जैमन पुत्र श्री गिरिराज प्रसाद जैमन, डी–81, इन्द्रा कॉलोनी, आगरा रोड़, दौसा–303303 जिला दौसा (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 21.03.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2022 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 28.02.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/552 दिनांक 09.03.2023 के माध्यम अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा के आरटीआई. पोर्टल पर प्रा0पत्र सं0 293327985848521 दिनांक 18.12.2022 के अंतरण पर असंतोष व्यक्त किया है के संबंध में सूचना आवेदन में वांछित सूचना, सीमाज्ञान कराने से संबंधित है जो कि तहसीलदार टहला द्वारा ही नियमानुसार निष्पादित किया जाना है, यदि तहसीलदार टहला द्वारा सीमाज्ञान की कार्यवाही नहीं की जा रही है तो उपयुक्त मंच के समक्ष शिकायत/वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनिमय 2005, शिकायत/व्यथा/समस्या समाधान हेतु उपयुक्त मंच नहीं है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 21.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर ★ अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)